## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
## पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

**पत्रावली संख्याः— 66/2019/अपील**

ख्यालीदास पुत्र गौरीसहाय जाति स्वामी निवासी किशोरपुरा उप तहसील अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

**अपीलान्ट**

**बनाम**

उप तहसीलदार अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

**रेस्पोडेन्ट**

**अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.06.2019 प्रकरण संख्या 101/2019 अनुवानी सरकार बनाम ख्यालीदास द्वारा उप तहसीलदार अजीतगढ़**

वकील अपीलांट श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां

**निर्णय** **दिनांकः—30.10.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर हल्का पटवारी के बयान लिए बिना अपना निर्णय सरसरी तौर पर मंदिर माफी की भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए निर्णय पारित किया है, जबकि अपीलांट गरीब परिवार से है तथा दहाड़ी मजदूरी पर अपना पालन पोषण करते है व अपने पूर्वजों के समय से आवास निवास कर रहा है। अपीलांट पूर्वजों के समय से पुख्ता मकान दुकान बनाकर आवास निवास कर रहा है एवं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। अपीलांट जिस भूमि पर काबिज है वह पूर्व में खातेदारी की भूमि रही है। सरकारी भूमि कभी नही रही जो अपीलांट को नियमन किए जाने योग्य है। जहां अपीलांट ने विधुत कनेक्शन ले रखा है। कानूनन माफी मंदिर शाश्वत नाबालिग है परन्तु उनके हितार्थ पुजारी है तथा अतिक्रमियों के विरूद्ध जो अपने पूर्वजो के समय से पुख्ता निर्माण कर कब्जे में है। धारा 91 एलआरएक्ट में कार्यवाही न कर धारा 183 आरटीएक्ट के तहत बेदखल का वाद लाना आवश्यक है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में अपीलांट को बेदखल किया गया तो अपीलांट के हितो पर कुठाराघात होगा एवं परिवार का जीवन यापन की संकट में पड जायेगा। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5187/2019 रिछपाल बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2019 का सहारा लिया, उस रिट याचिका प्रार्थी रिछपाल जिला कलेक्टर सीकर के समक्ष दिनांक 18.09.2019 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र कार्यवाही ड्रोप करने हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ़ का निर्णय जेर अपील दिनांक 17.06.2019 निरस्त किए जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रिजस्टर किया जाकर अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है।

अपीलांट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ एवं जवाब नोटिस पेश किया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम किशोरपुरा के खसरा नम्बर 89 रकबा 0.37 है0 किस्म बा.2 में से 0.25 वर्गमीटर भूमि पर दुकानें बनाकर व खसरा नम्बर 70 रकबा 0.22 है0 किस्म चा.1 में से 450 वर्गमीटर भूमि पर दुकाने व आवास बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में अंकित किया है कि "प्रकरण में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5187/2019 रिछपाल बनाम राज0 राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.2019 के क्रम में जिला कलक्टर, सीकर द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को ग्राम किशोरपुरा की भूमि खसरा नम्बर 65 से 74, 80, 87 से 89 कुल किता 14 कुल रकबा 4.82 है0 की जांच कर माफी मन्दिर भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर विधिपूर्ण कार्यवाही कर अतिक्रमण को 15 दिवस में नियमानुसार हटाया जाकर पालना रिपोर्ट मय फोटोग्राफ भिजवाने के निर्देश दिये गये। उक्त पत्र की पालना में तहसीलदार द्वारा नायब तहसीलदार अजीतगढ़ को उक्त उक्त पत्र की पालना हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश की पालना में ग्राम किशोरपुरा की भूमि खसरा नम्बर 65 से 74, 80, 87 से 89 पर अतिक्रमण की जांच हेतु भू0अ0निरीक्षक सांवलपुरा तंवरान, पटवारी हल्का खटकड़/किशोरपुरा एवं पटवारी हल्का चीपलाटा की टीम गठित कर जांच करवाई जाकर उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान कर अतिक्रमण चिन्हित किया गया। अतिक्रमित भूमि के सम्बंध में अतिक्रमी द्वारा उक्त भूमि का पट्टा व अन्य दस्तावेजात की प्रतियां पेश की। प्रस्तुत दस्तावेजात (पट्टा आदि) में उक्त खसरा नम्बर का अंकन नहीं है। अतिक्रमी द्वारा ग्राम किशोरपुरा के खसरा नम्बर 89 व 70 पर दुकान व आवास बनाकर अतिक्रमण किया है जो जमाबन्दी में मन्दिर माफी के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित हैं। अतः मन्दिर माफी की भूमि पर अतिक्रमी का अनाधिकृत अतिक्रमण मानते हुए अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मौके से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।" अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांट द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमित भूमि माफी मन्दिर की भूमि है जिस पर अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः इस सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ़ के द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त बेदखली आदेश दिनांक 17.06.2019 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है, जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/10/19

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति० जिला कलेक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official